बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

श्री कमला प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, सम्प्रति व्याख्याता (वरीय वेतनमान) विद्युत अभियंत्रण, राजकीय पोलिटेकनिक, गया को कतिपय अनियमितता के आरोप प्रतिवेदित होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (क) के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या–735 दिनांक–16.03.2013 के द्वारा निलंबित किया गया था।

2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के लिए देय वेतन भुगतान एवं कटौती निर्धारण के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

4. निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में राजकीय पोलिटेकनिक, गया में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इनके नियमित पदस्थापन के संबंध में अलग से विचार किया जायेगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (III) विद्यायी–18/2013– 03 पटना, दिनांक – 02/1/2015

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गया/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–I एवं श्री कमला प्रसाद सिंह, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) विद्युत अभियंत्रण, राजकीय पोलिटेकनिक, गया एवं आई० टी० मैनेजर, (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/15

सरकार के अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।